

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/विविध सेनि. पार्ट-2/14134/2023/365 दिनांक:- 28/8/2023
-:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंग कार्मिकों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	प्रभुलाल पालीवाल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उदयपुर	01.08.1963	31.07.2023
2	रामावतार शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अलवर	10.08.1963	31.08.2023
3	गुरमीत कौर	प्रधानाचार्य	अजमेर	01.09.1963	31.08.2023
4	माला वधवा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अलवर	14.10.1963	31.10.2023
5	राम प्रसाद मीणा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	धौलपुर	02.10.1963	31.10.2023
6	प्रेम चन्द रेनवाल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	क.रा.बी.कोटा	01.12.1963	30.11.2023
7	रेणुका क्लेमेंट	नर्सिंग अधीक्षक	अजमेर	29.11.1963	30.11.2023
8	कमला पारगी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	बांसवाडा	19.12.1963	31.12.2023
9	रूपसिंह करणोत	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	पाली	17.12.1963	31.12.2023
10	ब्रह्मदत्त यादव	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अलवर	10.12.1963	31.12.2023
11	बस्तीराम यादव	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	चुरू	16.12.1963	31.12.2023
12	रामकरण मीणा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	धौलपुर	30.12.1963	31.12.2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- कार्मिकों के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित है या नहीं सुनिश्चित करावें।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/विविध सेनि. पार्ट-2/14134/2023/365 दिनांक:- 28/8/2023
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (क.रा.बी. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग (अराजपत्रित/राजपत्रित), मुख्यालय।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
NAWAL <राजस्थान@gnaf.gov.in>
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director
Date :27-08-2023 03:21:12